न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, लिंक कोर्ट रीवा, म०प्र०

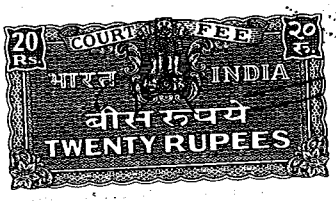

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

210
17-4-14

25-4-14

अपील - 1384-III-14.

रामकरण उपाध्याय तनय श्री रामचरण उपाध्याय निवासी ग्राम पड़ोखर,
तहसील हुजूर, जिलारीवा, म०प्र० -- -- अपीलार्थी

बनाम

हरिहर प्रसाद तिवारी तनय रामविशाल तिवारी निवासी ग्राम पड़ोखर,
तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०- ----- रेस्पा.

श्री अशोक कुमार द्विवेदी एड
द्वारा आज दिनांक 17-4-14 के
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

1306

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा, के प्रकरण क्रमांक 38/बी-121/2012-13, आदेश दि. 24.02.2014,

==

अन्तर्गत धारा 44(1)(छ:) म०प्र० भू रा.सं. 1959ई.

==

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

================

यह कि न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र. 41/अपील/2012-13 हरिहर प्रसाद तिवारी बनाम रामकरण उपाध्याय व एक अन्य मे आयुक्त कार्यालय के एक कर्मचारी श्री अरुण शुक्ला द्वारा उक्त अपील प्रकरण मे अपीलार्थी की ओर से हितबध्द होकर कार्यवाही कराये जाने के कारण उक्त प्रकरण के रेस्पा. गण द्वारा प्रकरण को अन्तरित कर सुनवाई किये जाने बावत एक अन्तरण आवेदन पत्र प्र.क्र. 38/आवेदक/बी 121/2012-13 रामकरण व एक अन्य बनाम हरिहर प्रसाद तिवारी न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालय मे म०प्र० भू राजस्व संहिता की धारा 29(2) के तहत प्रस्तुत किया गया, जो 5000/-रुपये हर्जाना जमा करने के निर्देश के साथ दिनांक 24.2.14 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध

नि० अ० रामकरण

न्यायालय राजस्व मंण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील–1384–तीन/2014 **जिला–रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.9–2015	प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित । तर्क श्रवण किए गये । प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–30.07.2012 के विरूद्ध प्रचलित अपील प्रकरण कमांक–41/अपील/12–13 को अन्य न्यायालय में अंतरित करने हेतु संहिता की धारा 29(2) के तहत आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष आवेदन पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे आयुक्त रीवा संभाग द्वारा आधारहीन होने से अपने आदेश दिनांक–24.2.2014 से निरस्त करते हुए प्रकरण विधिवत विचारण हेतु अपर आयुक्त को वापिस किया गया । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध निगरानी आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी जो प्र0क0–निग0 1152/3/14 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक–7.4.2014 से इस निर्देश के साथ अग्राह्य की गयी कि आयुक्त रीवा का आदेश मूल आदेश अपील योग्य आदेश है जिसके विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है और आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी का अपील में परिवर्तित करने का भी अनुरोध नहीं किया गया है । राजस्व मण्डल के इस आदेश के पश्चात आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक–24.2.2014 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 29(2) का आवेदन 5000/– रूपये हर्जाने के साथ आदेश दिनांक–24.2.2014 से निरस्त कर दिया गया जो विधि विरूद्ध था । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण को अरूण शुक्ला नाम के कर्मचारी द्वारा प्रभावित करने के आरोप भी लगाये गये जिनका उल्लेख निगरानी मेमों के बिन्दु कमांक–2 से 6 तक में अंकित किए गये हैं यह आक्षेपित तथ्य आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत	

किए गय थे । इसके अतिरिक्त वहीं तर्क प्रस्तुत किए जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे । प्रस्तुत तर्क निगरानी मेमों तो अंकित हैं ही अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण पत्रिका में भी अंकित है । जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु बिचार में लिया जावेगा ।

अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्को में मुख्य रूप से व्यक्त किया गया कि आवेदक द्वारा प्रकरण को बिलंबित करने की नियत से एक ही विषय विवाद के संबंध में तीन निगरानी प्रस्तुत की गयी जिनमें से एक निगरानी राजस्व मण्डल में अग्राह्य की गयी । वर्तमान में दो निगरानी एवं एक अपील प्रकरण प्रचलित है । यह भी बताया गया कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–30.7.2012 के विरूद्ध अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत अपील में सुनवाई हेतु ग्राह्यता के आदेश के विरूद्ध भी निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी थी वह भी अग्राह्य की गयी । इसके बाद आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक–7.4.14 से निगरानी अग्राह्य होने के बाद यह अपील राजस्व मण्डल में पुनःप्रस्तुत की गयी इस प्रकार आवेदक प्रकरण को अंतिम निराकरण से बंचित रखने एवं बिलंबित करने की नियत से निगरानी/अपील आदि प्रस्तुत कर रहा है, आवेदक की अपील निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त रीवा द्वारा जारी आदेश दिनांक–24.2.2014 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक एवं अनावेदक द्वारा मेरे समक्ष सुनवाई के दौरान वही तथ्य प्रकट किए जो अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त रीवा के समक्ष व्यक्त किए गये थे । उक्त प्रस्तुत तथ्यों का विश्लेषण आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक–24.2.14 के पैरा क्रमांक–4 में किया गया है, जो इस आदेश में विश्लेषण का अंग माना जावेगा । इस आदेश में पुनः विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से यह तथ्य विशेष रूप से प्रकट हो रहा है कि एक ही

नामांतरण आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण में पारित एक ही आदेश पर कार्यवाही के संबंध में विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र एवं निगरानी /अपील आदि प्रस्तुत होना भी परिलक्षित हो रही है जो निश्चित ही कार्यवाही को बिलंबित कर अंतिम निर्णय से बंचित रखने का प्रयास परिलक्षित हो रहा है जिस पर भी विचार किया गया ।

विचारोपरांत उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो धारा 29(2) का आवेदन निरस्त किया गया है वह तथ्यों के प्रकाश में उचित है ऐसी स्थिति में आयुक्त के आदेश दिनांक–24.2.2014 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । आयुक्त रीवा संभाग का आदेश स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है । आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे । उभयपक्ष सूचित हो।

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य